

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ 20(101/127/2020)लोसू/आकाशि/2005/ 1592 दिनांक:- 2-11-2020

लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय (सूचीनुसार),
राजस्थान।

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2019 की सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 30-6-2020 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2019 (01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक) की वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र-1 एवं 11 तैयार कर उपलब्ध करवाने हेतु लिखा है (फोटोप्रति संलग्न है)।

इस संबंध में लेख है कि इस विभाग की आर.टी.आई. समन्वयक शाखा के पत्र दिनांक 12-3-2020 (फोटोप्रति संलग्न है) के द्वारा आपको वार्षिक रिपोर्ट प्रपत्र-1 व 11 में भरकर 07 दिवस में उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था तथा स्मरण पत्र दिनांक 9-7-2020 के द्वारा तत्काल सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों से सूचना आदिनांक तक अपेक्षित है :-

राजकीय महाविद्यालयों की सूची

क्रम संख्या	राज.महा. का नाम	क्रम संख्या	राज.महा. का नाम	क्रम संख्या	राज.महा. का नाम
1	कन्या अजमेर	18	रावतभाटा	35	धरियावाद
2	थानागाजी	19	कन्या बांदीकुई	36	प्रतापगढ़
3	कन्या बहरोड़	20	कन्या धौलपुर	37	पीपलखूंट
4	लक्ष्मणगढ़	21	बसेड़ी	38	आमेत
5	छबड़ा	22	कला चिमनपुरा	39	देवगढ़
6	मांगरोल	23	चाकसू	40	राजसमन्द
7	अटरू	24	कन्या जयपुर	41	करणपुर
8	बायतू	25	पिड़ावा	42	विधि सीकर
9	सिवाना	26	चौमहला	43	वाणिज्य सीकर
10	पहाड़ी	27	बिलाड़ा	44	रेवदर
11	वैर	28	बाप	45	टोंक
12	माण्डलगढ़	29	शेरगढ़		
13	बिजौलिया	30	कन्या करौली		
14	करेड़ा	31	करौली		
15	बज्जू	32	कला कोटा		
16	छत्तरगढ़	33	मेड़तासिटी		
17	बूंदी	34	जैतारण		

अतः शेष प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र-1 व 11 में तत्काल प्रभाव से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को इस विभाग की jdadmncce@gmail.com पर भिजवायें, जिसकी एक प्रति डॉ. के.एल. सिराधना, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक) कॉलेज शिक्षा, ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302015 के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवायें, ताकि सूचना संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर एवं सचिव, राजस्थान सूचना आयोग को भिजवाई जा सकें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(संदेश नायक)
आयुक्त

क्रमांक :- एफ 20(101/127/20)लोसू/आकाशि/2005/ 1592 दिनांक:- 2-11-2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 5(1)शिक्षा-3/2019 दिनांक 4-9-2020, 22-9-2020 एवं 7-10-2020 के सदर में सूचनार्थ प्रेषित है।

✓ 2. वेबसाइट प्रभारी अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

(डा. के.एल. सिराधना)

SPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन समन्वयक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ 20(101/127/20)लोसू/निकाशि/2005/ **496** दिनांक:- **12-3-2020**

लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय (विधि महाविद्यालयों सहित),
राजस्थान।

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2019 की सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 20-1-2020 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2019 (1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक) की वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित प्रारूप-1 व प्रारूप-2 में भरकर राजस्थान सूचना आयोग को दिनांक 31-1-2020 तक भिजवाई जानी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दोनों प्रारूप की सूचना 07 दिवस में तैयार कर डा. के.एल. सिराधना, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक) कॉलेज शिक्षा, ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302015 के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस विभाग को भिजवायें।

लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय,.....
प्रारूप-1

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत निस्तारित आवेदन
(समयावधि दिनांक 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक) समयावधि वर्ष 2019

राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन (संख्या)			सूचना दी गई (संख्या)		अस्वीकृत	लम्बित	प्राप्त राशि (रूपयों में)
कुल	जिला मुख्यालय पर	अन्य	समयावधि में	समयावधि पश्चात्			
1	2	3	4	5	6	7	8


नोट : कॉलम 1=2+3 एवं कॉलम 4+5+6+7=1

प्रारूप-2

सूचना का अधिकार एक्ट के तहत निस्तारित सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपीलों का निस्तारण (समयावधि दिनांक 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक) समयावधि सत्र 2019

कुल प्राप्त अपीलों (संख्या)	निस्तारित		लम्बित संख्या
	स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4

नोट : कॉलम 1=2+3+4


 (प्रदीप कुमार बोर्डे)
 आयुक्त

क्रमांक :- एफ 20(101/127/20)लोसू/आकाशि/2005/ **496-499** दिनांक:- **12-3-2020**

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, ओ.टी.एस. परिसर, झालाना लिंक रोड, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017 को उनके पत्रांक प. 3(1)रा.सू.आ./वा.प्रति./2020/127 दिनांक 20-1-2020 के संदर्भ में
- राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव, शिक्षा (गुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 5(1)शिक्षा-3/2015 पार्ट दिनांक 31-1-2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
- विभागीय वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करें।


 (डा. के.एल. सिराधना)

SPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन समन्वयक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।